[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2023 का विधेयक संख्या–22 एच०एल०ए०

हरियाणा विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 2023

वित्त वर्ष 2019–20, 2020–21 तथा 2021–22 के दौरान कतिपय सेवाओं पर इन वर्षों के दौरान इन सेवाओं के लिए प्राधिकृत या स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग का प्राधिकार देने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा विनियोग (संख्या 6) अधिनियम, 2023 कहा जा सकता है।

वर्ष 2019–20, 2020–21 तथा 2021–22 के दौरान कतिपय खर्च को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से ₹ 153,39,29,460/-, ₹ 21,92,63,603/-, तथा ₹ 63,47,10,246/- का दिया जाना।

2. इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची के खाना 6 में विनिर्दिष्ट राशियां, जो कुल मिलाकर केवल एक सौ तिरपन करोड़, उनतालीस लाख, उनतीस हजार, चार सौ साठ रुपए (₹ 153,39,29,460/-), केवल इक्कीस करोड़, बानवे लाख, तिरसठ हजार, छह सौ तीन रुपए (₹ 21,92,63,603/-) तथा केवल तिरसठ करोड़, सैंतालीस लाख, दस हजार, दो सौ छियालीस रुपए (₹ 63,47,10,246/-) होती है, क्रमशः वित्त वर्ष 2019–20, 2020–21 तथा 2021–22 के दौरान उक्त अनुसूची के खाना 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में प्रभारों को चुकाने के लिए इन वर्षों के दौरान इन सेवाओं के लिए प्राधिकृत या स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से भुगतान तथा उपयोग में लाई जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी।

विनियोग।

3. इस अधिनियम के अधीन हरियाणा राज्य की संचित निधि में से भुगतान की जाने तथा उपयोग में लाई जाने के लिए प्राधिकृत समझी गई राशियां, वित्त वर्ष 2019–20, 2020–21 तथा 2021–22 के संबंध में अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिए विनियोजित की गई समझी जाएंगी।

अनुसूची

2019—20

मांग संख्या	सेवायें तथा प्रयोजन		अनधिक राशियां विधान सभा द्वारा किए गए अनुदान	संचित निधि पर प्रभारित	योग
1	2	3	4	5	6
			₹	₹	₹
8	भवन एवं सड़के	राजस्व	126,99,64,859/-	—	126,99,64,859/-
23	खाद्य एवं आपूर्ति	राजस्व	26,39,64,601/-	—	26,39,64,601/-
	कुल योग		**153,39,29,460/-**	—	**153,39,29,460/-**
		2020—21			
35	पर्यटन	राजस्व	21,92,63,603/-	—	21,92,63,603/-
	कुल योग		**21,92,63,603/-**	—	**21,92,63,603/-**
		2021—22			
7	आयोजना एवं सांख्यिकी	राजस्व	63,43,10,825/-	—	63,43,10,825/-
23	खाद्य एवं आपूर्ति	राजस्व	—	3,99,421/-	3,99,421/-
	कुल योग		**63,43,10,825/-**	**3,99,421/-**	**63,47,10,246/-**

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 (1) के साथ पठित उसके अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में वित्त वर्ष 2019–20, 2020–21 तथा 2021–22 के अनुदानों तथा विनियोगों से अधिक किए गए खर्च को पूरा करने के लिए अपेक्षित धन के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से विनियोग हेतु उपबन्ध करने के लिए पेश किया जाता है।

मनोहर लाल,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ : आर० के० नांदल,
दिनांक : 18 दिसम्बर, 2023 सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

10779—H.V.S.—H.G.P., Pkl.